



जो भी आप आप अपने जीवन में कुछ भी करते हैं एकदिन वह जरूर खत्म हो जायेगा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है की आप कुछ करते तो हैं  
- महात्मा गाँधी

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र  
छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र  
ए डी - 2 दूसरी मंजिल, कमरा नं. 14,15,16  
महानदी भवन, मन्त्रालय,  
नवा रायपुर अटलनगर  
छत्तीसगढ़ - 492002  
<https://chhattisgarh.nic.in>



टी.एल.एस. लैब्स (<https://tllabs.nic-cert.nic.in>) पर तकनीकी प्रशिक्षण, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राज्य इकाई

शासकीय वेबसाइटों में ओपन सोर्स आधारित एस.एस.एल. सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने एवं एस.एस.एल. सर्टिफिकेट के उचित व्यवस्थापन हेतु टी.एल.एस. लैब्स पोर्टल का निर्माण एन.आई.सी.- सर्ट के द्वारा किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से एन.आई.सी. के अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी भी शासकीय वेबसाइट हेतु मुफ्त में एस.एस.एल. सर्टिफिकेट ले सकते हैं, साथ ही टी.एल.एस. लैब्स पोर्टल में उपलब्ध



अन्य सुविधायें जैसे सर्टिफिकेट समाप्ति हेतु अलर्ट, वेबसाइट रैंकिंग, SAN में गड़बड़ी, एस.एस.एल. हेल्थ स्टेटस आदि का उपयोग कर वेबसाइट का सुचारु रूप से संचालन कर सकते हैं। इस संबंध में दिनांक 29 सितम्बर 2021 को प्रतीक चंद्रकर, वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक द्वारा एन.आई.सी., मन्त्रालय के समिति कक्ष में विस्तार पूर्वक डेमो सहित प्रशिक्षण दिया गया जिसमें जिले के अधिकारियों ने विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया।



**समसामयिकी** आजादी का अमृत उत्सव : महात्मा गांधी जी की विचार धारा पर व्याख्यान

आजादी की ७५वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में "आजादी का अमृत महोत्सव" कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र, जिला धमतरी द्वारा व्याख्यान का आयोजन दिनांक 06 अक्टूबर 2021 को किया गया, जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गयी।  
1. 21 वीं सदी के भारत में गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें राज्य एवं जिला इकाई के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विचार व्यक्त किये गए।  
2. कंडेल के बापू चत वित्र का प्रदर्शन राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र, जिला धमतरी द्वारा  
3. विचार अभिव्यक्ति  
अ. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में धमतरी जिले का योगदान एवं कंडेल ग्राम की गौरव गाथा - डा हेमवती ठाकुर, प्रोफेसर पी.जी. कालेज धमतरी  
ब. 21वीं सदी के भारत में गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता - डॉ. सी एस चौबे, भूतपूर्व प्राचार्य पी.जी.



कालेज धमतरी  
4. महात्मा गाँधी जी की जीवनी पर आधारित प्रश्नोत्तरी।

**शासकीय महाविद्यालय कोतरी जिला मुंगेली की वेबसाइट(<http://kotrigovt.cg.nic.in>) का उद्घाटन**

12 अक्टूबर 2021 को शासकीय महाविद्यालय कोतरी जिला मुंगेली की वेबसाइट(<http://kotrigovt.cg.nic.in>) का उद्घाटन



विशिष्ट अतिथि श्री सागर सिंह वैश्य की गरिमामय उपस्थिति में प्राचार्य डॉ. डी.एस. मिश्रा द्वारा किया गया एवं शासकीय महाविद्यालय की ओर से श्री मनोज कुमार सिंह

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

कॉलेज प्रशासन द्वारा वेबसाइट बनाने का अनुरोध स्वीकार कर एनआईसी मुंगेली शासकीय महाविद्यालय कोतरी के लिए सूचनाप्रद वेबसाइट तैयार किया गया। वेबसाइट में विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी एवं लिंक प्रदान किया गया है जैसे की छात्र कार्ड, नोटिस, शैक्षणिक, रिपोर्ट, मीडिया, मासिक उपलब्धियां एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

- वेबसाइट की मुख्य विशेषताएं:**
- 1: वेबसाइट अनुकूलित और टिभाषी है जो अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा दोनों का समर्थन करती है।
  - 2: वेबसाइट पूर्ण रूप से सुरक्षित है एवं सुरक्षा लेखा परीक्षा पूर्ण किया गया है।
  - 3: छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षणिक लिंक जोड़े गए हैं जैसे ई-बुक, पुस्तकालय, पढाई तुडार द्वारा।

**एनआईसी रायपुर द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ में 'साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह'**

एनआईसी छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र, रायपुर ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के अधिकारियों के लिए 'साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह' के अवसर पर 21 अक्टूबर 2021 को आरबीआई, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन आरबीआई, रायपुर द्वारा 'साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह' के भाग के रूप में किया गया। कार्यशाला को श्रीमती ए. शिवगामी (क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई) द्वारा संबोधित किया गया। आरबीआई के डीजीएम, एजीएम, प्रबंधकों और आरबीआई के अन्य कर्मचारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यशाला में जोड़ा गया। एनआईसी छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र, रायपुर से श्री श्रीकांत पांडे, वैज्ञानिक-सी ने 'साइबर सुरक्षा

जागरूकता' पर सत्र आरम्भ किया। नेटवर्क सुरक्षा, एप्लिकेशन / वेबसाइट सुरक्षा, सुरक्षित मोबाइल उपयोग और केस स्टडी जैसे विभिन्न साइबर सुरक्षा पहलुओं को एनआईसी द्वारा समझाया गया है। नए साइबर खतरों, कमजोरियों, हमलों और निवारक तंत्रों पर भी चर्चा की गई। एनआईसी द्वारा आरबीआई के अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को संबोधित किया गया है और वित्तीय धोखाधड़ी में साइबर खतरों पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला का समापन श्री नीलाभा झा (डीजीएम, आरबीआई) और श्री शाम फूलजले (प्रबंधक-एचआर, आरबीआई) ने एनआईसी के प्रति आभार के साथ किया।

**ई-ऑक्शन—वन और खनिज विभागों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम**

ई-ऑक्शन पर दिनांक 27.09.2021 को तमिलनाडु राज्य सूचना केंद्र द्वारा कार्यशाला का शुभारंभ श्री के. श्रीनिवास राघवन (उप निदेशक) के द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। कार्यशाला में महाराष्ट्र के वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ के वन विभाग एवं खनिज विभाग के अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए। कार्यशाला में ई-ऑक्शन के विशेषताओं के बारे में श्रीमती उषा सक्सेना (वरिष्ठ तकनीकी निदेशक) के द्वारा जानकारी दी गई। पोर्टल के प्रक्रियाओं एवं क्रियान्वयन की

सम्पूर्ण जानकारी श्री बी सीनिवासन, वैज्ञानिक-एफ के द्वारा दी गई। कार्यशाला के अन्त में विभागों के अधिकारियों के प्रश्नों का समाधान किया गया और उनके सुझावों पर चर्चा की गई। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र, रायपुर से डॉ अशोक कुमार होता (राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी), श्री पी.रामाराव (वरिष्ठ तकनीकी निदेशक) एवं श्री ऋषि कुमार राय, वैज्ञानिक - बी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।



जागरूकता

साइबर सुरक्षा जागरूकता

पिछले 18 वर्षों से अक्टूबर माह, साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता रहा है। जिसके अंतर्गत अक्टूबर माह के प्रत्येक सप्ताह में एक नए विषय पर समीक्षा कर विवेचना कि जाती है। आज के साइबरयुग में, इंटरनेट का उपयोग एक आवश्यकता बन गया है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इंटरनेट की प्राथमिकता है। इंटरनेट के उपयोग से सुविधा के साथ जोशिम भी है। जिसमें ऑनलाइन जानकारी एवं डाटा की

निम्नलिखित सुझावों से साइबर खतरों को कम करने में मदद मिलेगी:-

**कर्मचारी इंटरनेट उपयोग नीति**

इंटरनेट उपयोग नीति को कर्मचारियों हेतु विकसित और कार्यान्वित करना कम खर्चीला समाधान है। इस नीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए कि एक कर्मचारी, कार्यालय में इंटरनेट का उपयोग करते समय क्या कर सकता है और क्या नहीं। इसमें कर्मचारी द्वारा इंटरनेट के

जब इन "स्मार्ट" उपकरणों का उपयोग घर पर किया जाता है, तो उस उपकरण पर संक्रमण का खतरा अधिक होता है और मैलवेयर को आसानी से व्यावसायिक नेटवर्क में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही कारण है कि कर्मचारियों में कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।

**पैच / अपडेट प्रबंधन**

स्पष्ट रूप से परिभाषित पैच प्रबंधन नीति का उपयोग करके अच्छी पैच प्रबंधन प्रणाली भी लागू होनी चाहिए। ब्राउज़र सहित ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन को नवीनतम उपलब्ध सुरक्षा पैच के साथ नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। ब्राउज़र चाहे स्मार्टफोन पर उपयोग किया जाने वाला मोबाइल संस्करण का हो या कंप्यूटर पर उपयोग किया जाने वाला पूर्ण संस्करण, मैलवेयर हमलों के लिए एक प्राथमिक निशाना है और विशेष ध्यान देने योग्य है। ब्राउज़र के नवीनतम संस्करण का उपयोग करना आवश्यक है।

**निगरानी (मॉनिटरिंग)**

अंत में, इंटरनेट निगरानी सॉफ्टवेयर के उपयोग का उल्लेख करना आवश्यक है। इंटरनेट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को मैलवेयर, स्केयरवेयर, वायरस, फिशिंग हमलों और अन्य दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से नेटवर्क की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। एक मजबूत इंटरनेट निगरानी सॉफ्टवेयर अस्वीकार्य वेबसाइटों के कनेक्शन को अवरुद्ध करके, डाउनलोड की निगरानी करके, और नेटवर्क में और बाहर जाने वाले एन्क्रिप्टेड वेब ट्रैफिक की निगरानी करके कंपनी की इंटरनेट उपयोग नीति को लागू करने में मदद करेगा।

कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो 100% वेब सुरक्षा सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, परन्तु उपरोक्त रणनीतियों का पालन करके एवं लोगों में साइबर जागरूकता लाकर ही साइबर हमले के खतरों को कम किया और रोका भी जा सकता है। एनआईसी छत्तीसगढ़ द्वारा साइबर खतरों को काम करने और रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। जिसमें वेबसाइट / एप्लीकेशन को सर्वर में होस्ट करने के पूर्व सिक्वोरिटी ऑडिट करना, पूर्व में होस्ट की गई वेबसाइटों में जोशिम के मूल्यांकन हेतु एकाएक (रैडम) स्केन करना, एंटीवायरस/ऑपरेटिंग सिस्टम/फर्मवेयर अपडेट करना, नेटवर्क में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु इंटरनेट उपयोग नीति का क्रियान्वयन और नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी (मॉनिटरिंग) करना प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा विभिन्न विभागों को उपरोक्त प्रयोजनों हेतु परामर्श भी दिया जाता है।

**कैसे सुरक्षित रहें ?**



सुरक्षा की प्राथमिकता को ध्यान में रखना आवश्यक है। वेब सुरक्षा खतरों में फिशिंग हमले, मैलवेयर, स्केयरवेयर, रूटकिट, कीलॉगर, वायरस और स्पैम शामिल हैं। जबकि कई हमले तब होते हैं जब किसी वेबसाइट से जानकारी डाउनलोड कि जाती है, अन्य खतरे अब ड्राइव-बाय हमलों के माध्यम से संभव हैं, जहां केवल एक वेबसाइट पर जाने से कंप्यूटर संक्रमित हो सकता है। इन हमलों के परिणामस्वरूप आमतौर पर डेटा और सूचना की चोरी, उत्पादकता में कमी, नेटवर्क बैंडविड्थ की हानि और परिस्थितियों के आधार पर कंपनी के लिए मानदेय के मुद्दे भी होते हैं। इन सब के अलावा, मैलवेयर और कंपनी के नेटवर्क पर अन्य प्रकार के हमलों से बचाव और डाटा रिकवरी हेतु पैसों के साथ-साथ समय का भी नुकसान होता है।

व्यक्तिगत उपयोग, जैसे की सोशल मीडिया प्लेटफार्म को भी कुछ सीमा तक या पूर्णतः प्रतिबंधित करना नीति में परिभाषित होना चाहिए। नीति द्वारा उन वेबसाइटों के प्रकार की पहचान करनी चाहिए जिन्हें कर्मचारी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एक्सेस कर सकता है और इंटरनेट से किस प्रकार की सामग्री डाउनलोड की जा सकती है। हमेशा सुनिश्चित किया जाना चाहिए पॉलिंसी में निहित जानकारी एवं शर्तें संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिवेश के अनुकूल हों।

**कर्मचारी शिक्षा/जागरूकता**

वेब सुरक्षा खतरों को पहचानने और संक्रमण के जोशिम को कम करने के लिए अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। आज के माहौल में लैपटॉप, स्मार्टफोन, आईपैड और इसी तरह के अन्य उपकरणों का उपयोग न केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बल्कि व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग के लिए भी किया जाता है।

**राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान जागरूकता दिवस**

1 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य रक्तदान के महत्व और इस नेक काम से जुड़े लाभों के बारे में जागरूकता लाना है। लोगों के रक्तदान न करने का एक मुख्य कारण यह है कि उनमें से कुछ इसके लाभों से पूरी तरह अवगत नहीं हैं, और कुछ गलत सूचना के कारण ऐसा करने से भी डरते हैं। अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए, एनआईसी राज्य केंद्र मंत्रालय छत्तीसगढ़ ने श्री सुदीप श्रीवास्तव, राज्य समन्वयक, रेड क्रॉस, रायपुर को रक्तदान के बारे में और बुनियादी तथ्यों से जागरूकता पैदा करने के लिए आमंत्रित किया।

रक्तदान कौन कर सकता है? इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। रक्तदान करने के लिए रक्तदाता की उम्र 18-60 साल के बीच होनी चाहिए और उनका वजन 45 किलो से ज्यादा होना चाहिए। स्वस्थ रक्तदाता पुरुष हर 90 दिन या 3 महीने में और महिलाएं 4 महीने में रक्तदान कर सकती हैं। हालांकि, किसी भी विकार से पीड़ित होने पर रक्तदान से बचना चाहिए।



इस कार्यशाळा में राज्य कार्यालय एनआईसी के अधिकारी, एनआईसी के जिला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। निवसी में कार्यरत तकनीकी कर्मचारी ने भी सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। जागरूकता अभियान में छत्तीसगढ़ मंत्रिस्तरीय कर्मचारी संघ सचिवालय के अध्यक्ष एवं टीम भी शामिल हुई। श्री सुदीप श्रीवास्तव ने सभी को रक्तदान के स्वास्थ्य लाभों के बारे में भी बताया अर्थात यह अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, हेमोक्रोमैटोसिस के जोशिम को कम करता है,

कैंसर के जोशिम को कम करने में मदद करता है, नई रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है, आयरन के अधिभार के कारण हृदय और यकृत की बीमारियों को रोकने में मदद करता है। और बहुत सारे राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी और डीडीजी डॉ ए के होता है प्रतिभागियों के प्रश्नों को संबोधित किया और प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रत्येक रक्तदाता एक जीवन रक्षक है। रक्तदान करने के लिए आपको किसी के परिवार का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक रक्तदाता हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नायक हैं जिसने कहीं न कहीं आपके जीवन का उपहार प्राप्त किया है। श्री राजपूत, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मंत्रिस्तरीय कर्मचारी संघ, नवा रायपुर ने भी सचिवालय के सभी कर्मचारियों की ओर से प्रस्तावित रक्तदान शिबिर में भाग लेने और बढ़ावा देने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संवादन श्री पी.के.मिश्रा, तकनीकी निदेशक एवं डीआईओ, रायपुर और श्री मनीष कोचर, वैज्ञानिक-डी द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।